**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2251**

**जिसका उत्तर 09 अगस्त, 2021 को दिया जाना है**

**'शक्ति' नीति**

**2251. श्री नीरज डांगी:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में मौजूदा और भावी विद्युत संयंत्रों को कोयले के बेहतर आवंटन के लिए भारत में कोयले के दोहन और पारदर्शी आवंटन (शक्ति) संबंधी नीति आरंभ की है;

(ख) यदि हाँ, तो 'शक्ति' नीति का ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा 'शक्ति' नीति के तहत मौजूदा पात्र राज्यों की सूची क्या है;

(ग) क्या 'शक्ति' नीति पारदर्शी रही है और इससे सभी दबावग्रस्त विद्युत संयंत्रों की कोल लिंकेज संबंधी समस्याओं का समाधान हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**(क) :** जी, हां।

**(ख) :** सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) - ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) व्यवस्था के समापन को अनुमोदित किया और भारत में पारदर्शी रुप से कोयले का उपयोग और आबंटन करने की योजना (शक्ति), 2017 शुरु की जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को जारी किया गया। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधनों का अनुमोदन भी किया था जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 25.03.2019 को जारी किया गया था। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसाकि इसके विभिन्न पैरा में दिया गया है) निम्नानुसार हैं:

**पैरा क:** लंबित एलओए धारकों के साथ एफएसए पर यह सुनिश्चित करते हुए हस्ताक्षर किया जा सकता है कि संयंत्र स्थापित हो गए हैं, संबंधित लक्ष्य पूरे हो गए हैं, एलओए की

सभी विशिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है तथा जहां एलओए धारक के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया है। इसके अलावा, इसमें वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 75% की दर से लगभग 68,000 मे.वा. की क्षमता तक मौजूदा कोयला आपूर्ति को जारी रखने की अनुमति दी गई है जिसमें कोयले की उपलब्धता के आधार पर भविष्य में और वृद्धि की जा सकती है। इस नीति ने लगभग 19,000 मे.वा. क्षमता तक एफएसए की तुलना में 75% एसीक्यू पर कोयला आपूर्ति को संभव बनाया है जिसे चालू करने में विलंब हुआ है, बशर्ते कि ये संयंत्र 31.03.2022 तक चालू हो जाएं। डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित की गई बोलियों के प्रति भविष्य में किए जाने वाले मध्यावधिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) को भी लिंकेज कोयला आपूर्ति के लिए पात्र बनाया गया है।

**पैरा ख (i):** कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केंद्रीय उत्पादक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती है।

**पैरा ख (ii):** घरेलू कोयला आधारित दीर्घावधिक पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को लिंकेजेज दिए जाएंगे जहां नीलामी में भाग लेने वाली आईपीपीज टैरिफ पर छूट प्राप्त करने (पैसे/यूनिट में) हेतु बोली लगाएंगे। किसी कारणवश ख(ii) के अंतर्गत लिंकेज नीलामी में भाग न ले सकने वाले बोलीदाताओं को इस नीति के ख(ii) की नीलामी में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, जिन बोलीदाताओं को पूर्ण एसीक्यू हेतु लिंकेज प्राप्त नहीं हो सकता था, वे बेंचमार्किंग छूट के पश्चात् ख(ii) के अंतर्गत आगामी चरण में भावी नीलामियों में भाग लेते हुए शेष मात्रा के लिए लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

**पैरा ख (iii):** बिना पीपीए वाले आईपीपी/विद्युत उत्पादकों को लिंकेज नीलामी आधार पर दिए जाएंगे।

**पैरा ख (iv):** राज्यों के लिए विवरण के साथ कोयला लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व घोषणा करके नए पीपीए के लिए भी कोयला लिंकेज निर्धारित किए जा सकते हैं। राज्य ये लिंकेज डिस्कॉम्स/राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) को निर्दिष्ट कर सकते हैं।

**पैरा ख (v):** राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को एकत्र किया जा सकता है और ऐसी एकत्र विद्युत की प्राप्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अथवा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसे राज्य द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी के द्वारा की जा सकती है।

**पैरा ख (vi):** स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को पूर्ण नियामक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा जिसे विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिस्पर्धी बोली आधारित टैरिफ के माध्यम से केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए नामित एजेंसी द्वारा निगमित किया जाएगा।

**पैरा ख (vii):** लागत में बचत का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देते हुए आयातित कोयले पर आधारित पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आबंटित करने के लिए कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय के परामर्श से पारदर्शी बोली प्रक्रिया की एक विस्तृत पद्धति तैयार कर सकता है।

**पैरा ख (viii):**

(क) बिना पीपीए वाले विद्युत संयंत्रों को ख(iii) और ख(iv) के तहत न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कोयला लिंकेज की अनुमति है बशर्ते इस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत को पावर एक्सचेंज के जरिए डे अहेड मार्किट (डीएएम) में बेचा जाए या डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के माध्यम से लघु अवधि में बेचा जाए।

(ख) डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के मामले में उत्पादक द्वारा पीपीए रद्द करने पर उत्पादक को डीईईपी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अल्पकालिक पीपीए के जरिए या पावर एक्सचेंज के जरिए अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए या दीर्घ/मध्यम अवधि के पीपीए के तहत अन्य विद्युत खरीददार मिलने तक, जो भी पहले हो विद्युत बेचने के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) ख (v) के अंतर्गत कोयला लिंकेज उन मामलों में भी लागू है जहां विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नोडल एजेंसी राज्य समूह के लिए ऐसे राज्यों से बिना आग्रह के भी विद्युत आवश्यकता एकत्र/हासिल करती है।

(घ) केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियां स्ट्रेस्ड विद्युत परिसंपत्तियों के विद्युत एग्रीग्रेटर के रुप में कार्य कर सकती हैं।

(ड.) ऋण शोधन सुनिश्चित करने हेतु कार्य तंत्र।

फिलहाल, इस नीति के विभिन्न प्रावधानों के तहत निम्नलिखित क्षमताओं के लिए कोयला लिंकेज प्रदान किए गए हैं:-

(i) : शक्ति नीति के पैरा क(i) के प्रावधानों के तहत 7,210 मे.वा. की कुल क्षमता वाले 09 एलओए धारकों के लिए ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने हेतु मंजूरी दी गई है।

(ii) : शक्ति नीति के पैरा ख(i) के प्रावधानों के तहत 23 थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) को कुल 25340 मे.वा. क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किए गए हैं।

(iii) : शक्ति नीति के पैरा ख(ii) के तहत लिंकेज नीलामी का पहला दौर सितंबर, 2017 में आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 9,045 मे.वा. क्षमता के लिए दस सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किए गए थे। मई, 2019 में आयोजित दूसरे दौर के दौरान लगभग 874.9 मे.वा. की क्षमता के लिए आठ बोलीदाताओं द्वारा 2.97 एमटीपीए की मात्रा के लिए लिंकेज बुक

किए गए हैं। तीसरे दौर में पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा मई, 2020 के दौरान नीलामी आयोजित की गई है जिसमें 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।

(iv) : शक्ति ख(iii) के लिए लिंकेज नीलामी फरवरी, 2020 में आयोजित की गई थी जिसमें कुल 11.8 एमटीपीए की प्रस्तावित मात्रा में से 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.48 एमटीपीए के लिए लिंकेज बुक किए गए।

(v) : शक्ति नीति के ख(iv) के तहत गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए सीआईएल से क्रमशः 4000 मे.वा., 1600 मे.वा. और 2640 मे.वा. क्षमता के लिए कोल लिंकेज निर्धारित किए गए हैं।

(vi) : शक्ति नीति के ख(v) के तहत सीआईएल से 2500 मे.वा. क्षमता के लिए कोल लिंकेज निर्धारित किए गए हैं।

(vii) : कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शक्ति नीति के ख(viii) (क) के अंतर्गत लिंकेज नीलामी के 6 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। पेश की गई कोयले की कुल 32.02 मि.ट. मात्रा में से सफल बोलीदाताओं द्वारा 4.85 मि.ट. मात्रा बुक की गई है।

शक्ति नीति के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सभी उत्पादनकारी कंपनियां नीति में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन कोयला लिंकेज के लिए पात्र हैं।

**(ग) और (घ) :** शक्ति नीति संकटग्रस्त विद्युत संयंत्रों सहित विद्युत संयंत्रों को कोयला आबंटित करने का एक पारदर्शी तरीका है। शक्ति नीति के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित कार्यपद्धतियां तैयार करने तथा शक्ति नीति के कार्यान्वयन के दौरान उठने वाले मुद्दों अथवा संभावित मुद्दों पर सिफारिश करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की गई है जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालय / विभाग जैसे कि विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोयला कंपनियां शामिल हैं। आईएमसी शक्ति नीति के प्रावधानों के सहज कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों / विभागों और कोयला कंपनियों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को कोयला लिंकेज पारदर्शी नीलामी तंत्र के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं अथवा विद्युत क्रय करार (पीपीए) की टैरिफ आधारित बोली के आधार पर कोयला लिंकेज प्रदान करने हेतु राज्यों को निर्धारित किए जाते हैं।

*****